संख्या-36/2023/198/001-198-23-10-23-52(सा0)/2022

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 04 फरवरी,2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के जनपद बिजनौर के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (31वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2934/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/एम0बी0डी0/2022-23 दिनांक 25.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के जनपद बिजनौर के 02 चालू सेतुओं हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्य के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 256.80 लाख (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद	सेतु का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मुरादाबाद	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में मोटा महादेव भागूवाला मार्ग के किमी0-2 में पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य	210.66	52.67	157.99	11.89	0.00	146.10	**115.11**	**30.99**	**146.10**
	मुरादाबाद	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में तेलीपुरा भटटे से ग्राम सल्लाखेड़ी मार्ग पर कडूला नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	293.17	20.00	273.17	15.88	146.59	110.70	**87.22**	**23.48**	**110.70**
			योगः-	503.83	72.67	431.16	27.77	146.59	256.80	202.33	54.47	256.80

अवमुक्त धनराशि रू0 256.80 लाख (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in/

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजनाओं के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) **रुपये 2,02**,33,000 (**रुपये दो करोड़ दो लाख तैंतीस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य**(*2*) **रुपये 54**,47,000 (**रुपये चौवन लाख सैतालीस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, **दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

संख्या-36/2023/198/001-198-23-10-23-52(सा0)/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/